संख्या-33/2017/1049/22-2-2016-17(262)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 जनवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी काशीनाथ रस्तोगी पुत्र श्री रामेश्वर दयाल रस्तोगी, निवासी जनपद-शाहजहंपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17948/प्रोबेशन-3/(एम-06-08-2014) दिनांक-13-06-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी काशीनाथ रस्तोगी पुत्र श्री रामेश्वर दयाल रस्तोगी, निवासी-हुसेनपुरा, थाना-कोतवाली, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 10/11.05.1996 की मध्यरात्रि लगभग 11:00 बजे लूट के उद्देश्य से अनिल कुमार के घर घुसा एवं लूटपाट के दौरान अनिल कुमार, उनकी पत्नी, बच्चा, मां एवं नौकरानी की चाकू व छूरी से मारकर कुल 05 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-482/1996के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 392, 394, के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई द्वारा दिनांक 01-02-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.03.2016 तक 19 वर्ष 09 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 10 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है,01 जमानत पर कारागार से बाहर है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध किये जाने की सम्भावना होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी काशीनाथ रस्तोगी पुत्र श्री रामेश्वर दयाल रस्तोगी, निवासी जनपद-शाहजहांपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी काशीनाथ रस्तोगी (बन्दी संख्या-12835) पुत्र श्री रामेश्वर दयाल रस्तोगी निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-33/2017/1049(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-33/2017/1049/22-2-2016-17(262)/2016

दिनांक 10 जनवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी काशीनाथ रस्तोगी पुत्र श्री रामेश्वर दयाल रस्तोगी, निवासी-हुसेनपुरा, थाना-कोतवाली, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 10/11.05.1996 की मध्यरात्रि लगभग 11:00 बजे लूट के उद्देश्य से अनिल कुमार के घर घुसा एवं लूटपाट के दौरान अनिल कुमार, उनकी पत्नी, बच्चा, मां एवं नौकरानी की चाकू व छुरी से मारकर कुल 05 व्यक्तियों की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-482/1996के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 392, 394, के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई द्वारा दिनांक 01-02-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.03.2016 तक 19 वर्ष 09 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 10 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है,01 जमानत पर कारागार से बाहर है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध किये जाने की सम्भावना होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी काशीनाथ रस्तोगी पुत्र श्री रामेश्वर दयाल रस्तोगी, निवासी जनपद-शाहजहांपुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।